कार्यकारी सांराश

ई.1 परियोजना

अ. डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) रेल मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष प्रयोजन संस्था ने पूर्व की ओर कोलकाता के साथ लुधियाना और पश्चिम की ओर दिल्ली के साथ मुम्बई को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर को जोड़कर कार्यान्वयन की योजना है। ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (ईडीएफसी) के हिस्से के कार्यान्वयन के लिए डीएफसीसीआईएल ने विश्व बैंक से ऋण की मांग की गई है । पूरे सेक्शन को तीन चरणों में बांटा गया है ईडीएफसी–1 की लम्बाई 343 किलोमीटर खुर्जा से भाऊपुर सेक्शन, ईडीएफसी–2 की लम्बाई 393 किलोमीटर, भाऊपुर से मुगलसराय सेक्शन, ईडीएफसी–3 की लम्बाई 401 किलोमीटर सानेहवाल (लुधियाना) से पिलखनी से खुर्जा सेक्शन। 47 किलोमीटर का खुर्जा–दादरी सेक्शन को हिस्से के रूप में को परियोजना के पुर्नगठन के तहत ईडीएफसी–1 में शामिल करने की योजना है। इस सेक्शन के लिए मसौदा पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना को तैयार कर लिया गया है। ईडीएफसी–1 के लिए परियोजना की तैयारी के हिस्से के रूप में, पुनर्वासन नीति की रूपरेखा (आरपीएफ) को तैयार किया गया था, और ईडीएफसी–3 के मामले में उसे अद्यतन कर लिया गया है, इस परियोजना कोरीडोर को दो हिस्सों में बांटा गया हैः (क) पिलखनी–सानेहवाल (कुल 175 किमी. दो घुमाव 12.79 कि.मी. के साथ) और खुर्जा–पिलखनी (कुल 226 किमी तीन घुमाव 111 किमी. के साथ)। पिलखनी–सानेहवाल सेक्शन के लिए पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना (आरएपी) को तैयार कर जनसूचना के लिए जारी कर दिया गया है। खुर्जा–पिलखनी (226 किमी.) के आरएपी को नए घुमावों/संरेखण में बदलाव के कारण तैयार नहीं किया गया है। पुनर्वासन नीति की रूपरेखा (आरपीएफ) सितंबर 2011, में अनुशेष (जोड़) को तैयार कर खुर्जा–पिलखनी विस्तार के लिए आरएपी को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं जहां अभी भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। **यह आरपीएफ डीएफसीसीआईएल द्वारा कोई अतिरिक्त परियोजनाओं पर लागू होंगे ।**

ब) **ईडीएफसी–3 सहित तीन ईडीएफसी परियोजनाओं के लिए भूमि अध्हिाग्रहण विवरण निम्नानुसार है।**

ईडीएफसी सेक्शन	लंबाई किमी.में	प्रभावित गांवो की संख्या	भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता	प्रभावित भूमि की मालिकों संख्या	प्रभावित अवसंरचनाओं की संख्या	प्रभावित समुदाय संपत्तियां	अप्रेल–2015 तक मुआवजा भूमि दिया गया (हे.मे)
ईडीएफसी–1 खुर्जा–भाऊपुर	343	287	1410	2953	585	78	1356 (96%)
ईडीएफसी–1 खुर्जा–दादरी	47	38	221	1893	121	14	149 (68%)
ईडीएफसी–2 भाऊपुर–इलाहा बाद	402	369	1475	27205	1752	55	1405 (95%)
ईडीएफसी–3 प्रभाव विवरण							
ईडीएफसी–3 (301) (पिलखनी–साने हवाल)	175	138	355.34	3051	324	8	332 (93.5%)
ईडीएफसी–3 (303) खुर्जा–पिलखनी	226	143	802	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	90.2 (11%)
ईडीएफसी 3 कुल योग	401	281	1157	3051+	324+	8+	422 (36%)

ई.2 सामाजिक प्रभाव आंकलन की कार्यप्रणाली

अ) रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पात्रता सूची, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 व विश्व बैंक संचानल नीति 4.12 (OP 4.12) के अनुसार पुनव्यर्वस्थापन नीति रूपरेखा, सामाजिक प्रभाव आंकलन और पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह पुनव्यर्वस्थापन नीति रूपरेखा भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन लाभ, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर

और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटी–एलएआरआर,2013) के अनुसार के देय से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करता है ।

पुनव्यर्वस्थापन नीति रूपरेखा के उद्देश्यों में शामिलः

- पुनर्वासन अवधि के बाद में परियोजना प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को उनकी पूर्व अवस्था को बनाए रखने के लिए अथवा उसमें सुधार के लिए पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना ।
- आजीविका को चलाने के लिए सहायता और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान की पात्रता की रूपरेखा तैयार करने के लिए ।
- समाजिक प्रभाव आंकलन, पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना तैयार करना, परामर्श, शिकायत निवारण, मुआवजे का वितरण और पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन लाभ और निगरानी व कार्यान्वयन सहित व्यवस्थाओं को विस्तृत कार्यान्वयन प्रदान करना ।
- डीएफसीसीआईएल और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के बीच सोहाद्रपूर्ण संबध और संचार तंत्र को स्थापित करना ।
- पर्याप्त बजट के साथ पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन कार्यान्वयन को तीव्र गति से कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना ।

पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन नीति और पात्रता की रूपरेखा

ई.3 पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन नीति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर में पुनर्वासन अवधि के बाद सुधार हो चाहिए और परियोजना के लाभ में भागीदार बन सकें। पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना को रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पात्रता सूची और रेल (संसोधन) अधिनियम, 2008 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। मसौदा पात्रता सूची (तालिका 3.2 ए) को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटी–एलएआरआर,2013) के अनुसार तैयार कया गया है, जो कि जनवरी 01, 2015 से प्रभावी होगा। सभी व्यवहार्य विकल्पों की खोज द्वारा

अनैच्छिक पुर्नवास और भूमि अधिग्रहण को टालने या कम से कम करने में सावधानी बरती गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनव्यर्वस्थापन प्रक्रिया का शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वयन और पर्याप्त पुनर्वासन पैकेज दिया जाए । पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गो जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विपन्न वर्ग का विशेष ध्यान रखकर अतिरिक्त सहायता दी जाए। **पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना द्वारा प्रभावित किरायेदारों और बटाईदारों, उपवेशी और अन्य परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वासन का प्रावधान किया है ।**

ई.4 भूमि अधिग्रहण आवश्यकताएंः पूर्वी प्रस्तावित मालभाड़ा गलियारा –3 (EDFC-3) के निर्माण के लिए कुल 1157 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसमें से खुर्जा–पिलखनी खण्ड के लिए 803 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। इस परियोजना में कुल 301 गांव प्रभावित हैं जिसमें से 143 गांव खुर्जा–पिलखनी खण्ड में प्रभावित हैं, जिसका विस्तृत सामाजिक प्रभाव आंकलन होगा और पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना तैयार की जाएगी ।

पुनव्यर्वस्थापन प्रभावों को कम करने के उपाय

ई.5 प्रारम्भिक रेखाचित्र का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सुविधाओं के लिए कम से कम विघ्न रहित भूमि अधिग्रहण होगा। सामाजिक रूप से संवेदनशील खण्डों को टालने के लिए बस्तियों आदि में वैकल्पिक लिंको का चयन, पुनःसंरेखण (रिएलाइनमेन्ट) और बाईपास को उपलब्ध कराकर किया जाएगा। वर्तमान रेलखण्ड के साथ–2 जहां तक संभव होगा, यदि प्रभावों का उन्मूलन पूर्णतः नहीं किया जासका तो डिजाइन में बदलाव किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप प्रभावों में कमी आएगी। सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान तकनीकी आवश्यकताओं की सीमा के भीतर एवं लागत प्रभावशीलता के साथ प्रभावों को कम करने पर बल दिया जाएगा ।

परामर्श संबधी रूपरेखा

ई.6 आधारभूत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और लोगेां की संवेदना, धारणा व प्रतिक्रिया को समझने के लिए उनके साथ परामर्श किया जाएगा। इन बैठकों से प्राप्त निष्कर्ष को सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा । पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना ऐसी सभी परामर्श को समेकित करेगा और अनुपालन के लिए ढांचा तैयार करेगा ।

कार्यान्वयन की व्यवस्था

ई.7 संस्थागत व्यवस्थाः डीएफसीसीआईएल ने क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालयों (सीपीएम कार्यालय) को बनाया है । पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) की भूमिका मुख्य पुनर्वासन अधिकारी की होगी। मुख्य परियोजना प्रबंधक को गैर–सरकारी संगठन और सहायक परियोजना प्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सहायक परियोजना प्रबंधक कार्यालय के नियमित कर्मचारियों के अलावा प्रत्येक खण्ड (पैकेज) में सहायक परियोजना प्रबंधक (सामाजिक) द्वारा उनके कर्मचारियों के साथ मुख्य परियोजना प्रबंधक को सहयोग प्रदान किया जाएगा । जबकि मुख्यालय स्तर पर सेमू, मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय को तकनीकी एवं तार्किक सहयोग प्रदान करेंगें। पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना के कार्यान्वयन के साथ–2 मुआवजे एवं पुनर्वासन व पुनव्यर्वस्थापन सहायता के वितरण का कार्य सक्षम प्राधिकारी/प्रशासक की द्वारा मुख्य परियोजना प्रबंधक की सहायता से किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण व पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन की गतिविधियों को पूरा कर समन्वयन रखने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। भूमि अधिग्रहण व पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन की निगरानी और कार्यान्वयन, संपूर्ण योजना प्रबंधन में मुख्य परियोजना प्रबंधक को सहायता देने के लिए एक उप मुख्य परियोजना प्रबंधक (सामाजिक) है । निर्माण–स्थान को हस्तानारित करने योग्य तभी माना जाएगा जब परियोजना प्रभावित परिवारों को पात्रता सूची के प्रावधान के अनुसार आरएंडआर सहायता और प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा देय पूर्ण हो जाएगा। मुख्य परियोजना प्रबंधक को निर्माण स्थल को ठेकेदार को सौंपने के पूर्व यह सत्यापित करना होगा कि निर्माण खण्ड परियोजना निर्माण के

लिए तैयार है जिसमें मुआवजे का समय एवं तारीख और दी गई आरएंडआर सहायता, शिकायत (यदि कोई हो) जिसका निराकरण किया गया हो और भूमि के निर्माण के लिए तैयार है, सक्षम प्राधिकारी की तरफ से स्थानान्तरण प्रमाण (निर्धारित प्रारूप में) अधिनिर्णीत हो।

ई.8 शिकायत निराकरणः क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तरों पर परियोजना प्रभावित परिवारों और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को सुनना एवं उनका निराकरण करने के लिए शिकायत निराकरण/आरएंडआर कमेटी होगी। क्षेत्रीय स्तर की शिकायत कमेटी (एफएलसी) को मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा संचालित किया जाएगा जिसमें संबंधित जिले के जिलाधिकारी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों में अध्यक्ष, जिला परिषद (जिला काउन्सिल) और प्रतिष्ठित स्थानीय गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि होंगे । मुख्यालय स्तर की शिकायत समिति (एचएलसी) महाप्रबंधक/सेमू द्वारा संचालित की जाएगी जिसमें निदेशक /परियोजना एवं नियोयजन सदस्य होंगे । रेल (संसोधन) अध्यादेश, 2008 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित शिकायतों को जज/मध्यस्थ (आब्रीट्रेटर्स) सुनेंगे जिन्हें पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। डीएफसीसीआईएली द्वारा सीधे संदर्भित मामलों सहित उपरोक्त स्तरों पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/परियोजना प्रभावित पीड़ित परिवारों सुने गए मामलों से संतुष्ट नहीं होते हैं उनके लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है।

ई.9 निगरानी एवं मूल्यांकनः पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना कार्यान्वयन के निष्पादन की निगरानी के लिए डीएफसीसीआईएल की सामाजिक एवं पर्यावरण प्रबंधन इकाई (सेमू) और मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) के आंतरिक निरीक्षण तंत्र को परियोजना निगरानी सलाहकार (पीएमसी) और गैर–सरकारी संगठन द्वारा सुविधाजनक बनाया जाएगा । गुणवत्ता एवं प्रभाव निगरानी स्वतंत्र सामाजिक एवं पर्यावरण सुरक्षा निगरानी और समीक्षा सलाहकार (एसईएसआरएमसी) परामर्शदाताओं द्वारा किया जाएगा।

ई.10 सामुदायिक संरचनाओं का पुनव्यर्वस्थापनः सामुदायिक संपत्तियों संसाधनों (सीपीआर) की पहचान की जाएगाी अेर स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श कर पुनर्स्थापित किया जाएगा।

ई.11 पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापना लागत और बजटः पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापना प्रावधानों और पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लागतों के लिए बजट पुनव्यर्वस्थापन कार्य योजना उपलब्ध करवाएगा।